भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2020-21

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में
2020-21

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हरियाणा सरकार

प्रस्तावना

वर्ष 2020-21 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के तेईसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों जैसा कि वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन, मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखों को राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा रहेगी।

चण्डीगढ़
दिनांक 08 मार्च 2022

(नाजली जे.शाईन)
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत् अग्रसर हैं तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समयःबद्ध प्रतिवेदन हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियोंः विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता - को इस बात का स्वतंत्र आश्वासन देते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	अधिदृष्टि	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्त्रोत एंव अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005	9
अध्याय 2	प्राप्तियाँ	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	12
2.3	कर राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण पर लागत	17
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछलें पांच वर्षों के रूझान	17
2.6	सहायतानुदान	18
2.7	लोक ऋण	19
अध्याय 3	व्यय	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	26
अध्याय 4	विनियोग लेखे	
4.1	वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों का सारांश	27
4.2	विगत पांच वर्षों मे बचत/ आधिक्य का रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28

पृष्ठ संख्या

अध्याय 5	परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व	
5.1	परिसम्पत्तियाँ	31
5.2	ऋण तथा देनदारियाँ	32
5.3	गारंटियां	33
अध्याय 6	अन्य मदें	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	34
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तिय सहायता	34
6.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	36
6.5	प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	36
6.6	लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण	36
6.7	असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल	36
6.8	उचन्त तथा प्रेषण शेषों की स्थिति	37
6.9	सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना	38
6.10	पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अपूर्ण परियोजनाएँ	38
6.11	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	39
6.12	व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण	40
6.13	निवेश	40
6.14	आरक्षित निधियों की स्थिति	41
6.15	भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	44
6.16	हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा ली गई उधारियों को राज्य सरकार के बजट में न दर्शाना	44

अध्याय-1

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा सामग्री को संग्रहित, वर्गीकृत एवं संकलित करके हरियाणा सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन, 24 जिला कोषालयों, 59 लोक निर्माण (भवन तथा सडकें) मंडलों, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 40 वन मण्डलों, 39 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित संज्ञापनों से किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा हरियाणा सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों एवं व्यय की गुणवता के बारे में त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

सरकारी लेखों की संरचना

भाग-1 समेकित निधि

कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्व, उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। प्रदत्त ऋण तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सहित सरकार के समस्त व्ययों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधि

यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये बिना अप्रत्याशित-व्यय (जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है) की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है।
हरियाणा सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 1,000.00 करोड़ है।

भाग-3 लोक लेखा

लोक लेखा में ऋण (भाग-1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से सम्बन्धित लेन-देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग मे ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा के पुनर्भुगतान और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में खजानों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारंभिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखा परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखे संकलन हेतु प्रवाह आरेख

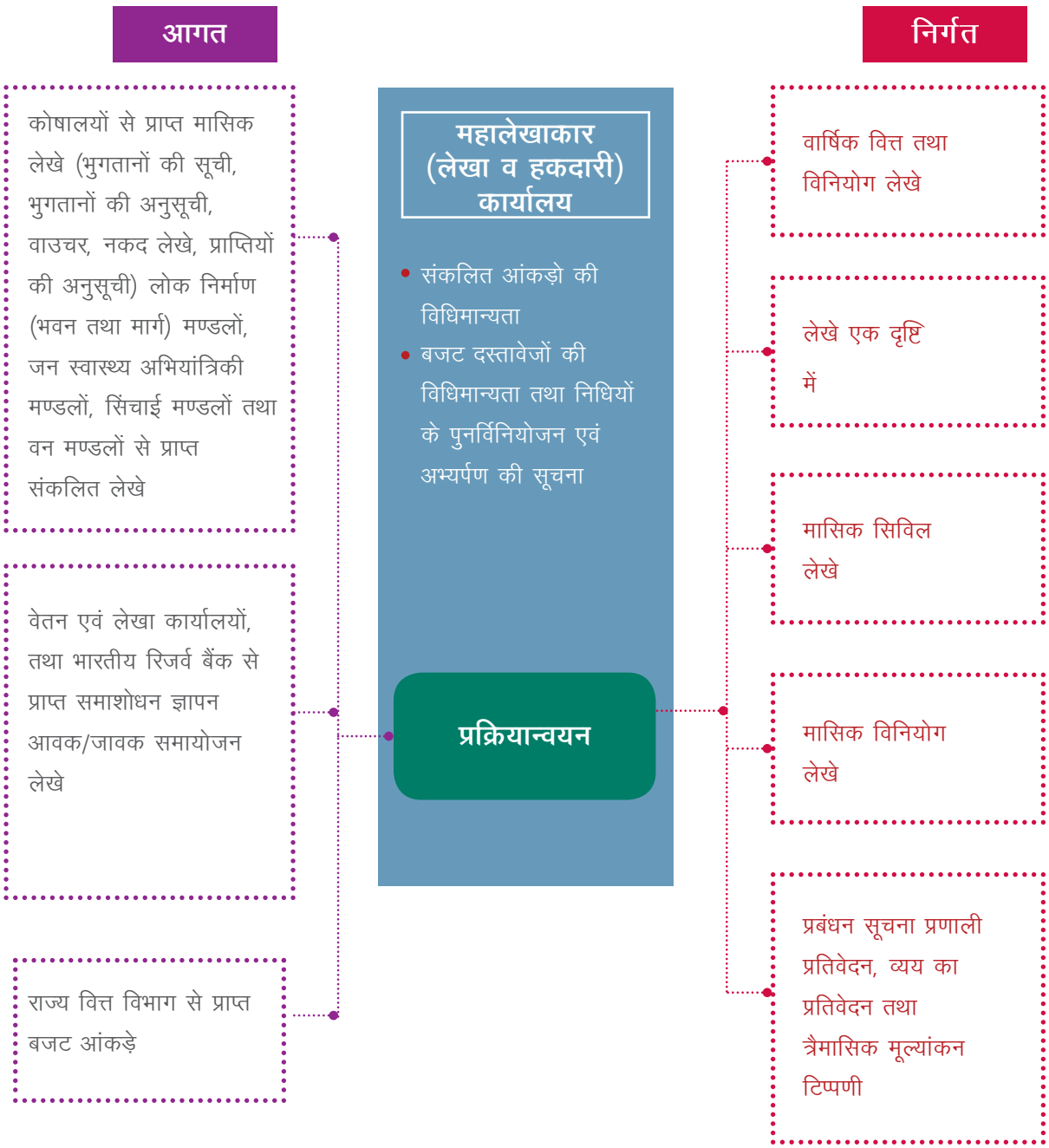

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखों में, लेखों में अभिलेखित, राजस्व तथा पूँजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखों तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत, विस्तृत विवरणियाँ (भाग- I) तथा परिशिष्ट (भाग- II) समावेश किये जाते हैं ।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने, हरियाणा के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 7,119 करोड़ की राशि जारी की। क्योंकि ये निधियाँ राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आई, इन्हें राज्य सरकार के लेखों में नहीं दर्शाया गया है। इन अन्तरणों को वित्त-लेखे के खण्ड- II के परिशिट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2020-21 की वित्तीय झलकियाँ

वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता(ग)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	60,581	48,351	80	6
2.	गैर कर राजस्व	15,428	6,962	45	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,955	12,248	88	2
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	89,964	67,561	75	9
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	357	432	121	..*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	3,750	63	2	..*
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (ख)	37,554	29,486	79	4
8.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	41,661	29,981	72	4
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,31,625	97,542	74	13
10.	राजस्व व्यय	1,12,839	89,946	80	12
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	18,138	17,115	94	2
12.	पूंजीगत व्यय	14,055	5,870	42	1
13.	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	2,013	1,726**	86	..*
14	कुल व्यय (10+12+13)	1,28,907	97,542	76	13
15.	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)	(-) 22,875	(-) 22,385	98	3
16.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)	(-) 34,836	(-) 29,486	85	4
17.	प्राथमिक घाटा (11+16)	(-) 16,698	(-)12,371	74	2

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 6,437 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 41,914 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 5 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

(ग) सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 7,64,872 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये हैं तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर भी उपलब्ध है।

** प्रतिशतता न के बराबर है इसलिए इसे .. से दर्शाया गया है ।*

*** इसमें 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन के ₹ 800 करोड़ शामिल हैं।*

वर्ष 2020-21 की प्राप्तियां व संवितरण

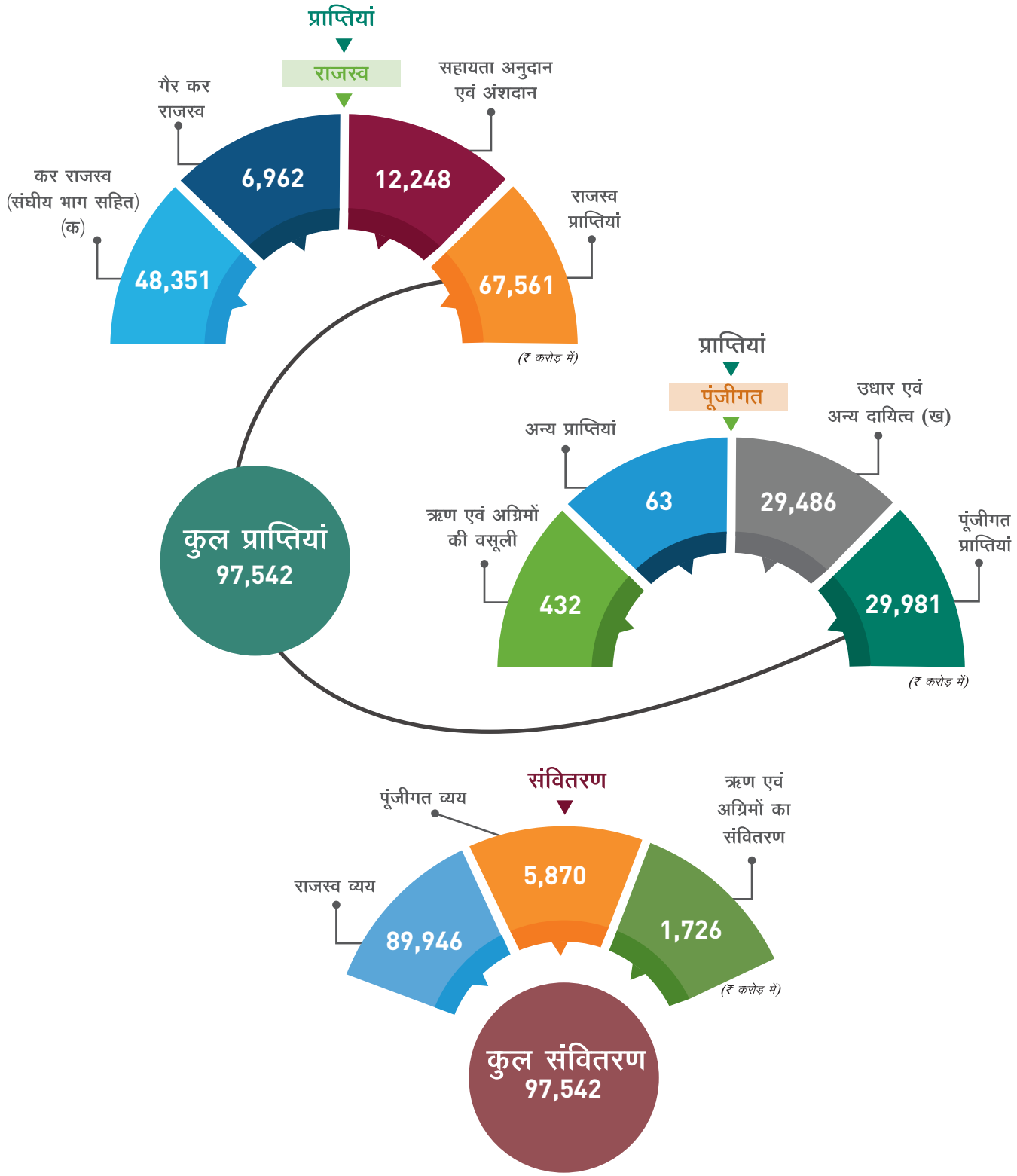

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 6,437 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 41,914 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 5 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + रोकड के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। विनियोग लेखे, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं। हरियाणा के बजट में 18 प्रभारित विनियोजन तथा 46 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखों का उद्देश्य यह दर्शाना है कि वास्तविक व्यय किस सीमा तक वार्षिक विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के अनुसार किया गया है।

1.3.4 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के मुकाबले हरियाणा सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत,व्यय में कटौती के कारण ₹ 37,595.74 करोड़ (₹ 1,80,004.84 करोड़ के बजट अनुमानों का 20.89 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा व्यय में कटौती होने पर ₹ 2,064.40 करोड़ (₹ 17,433.90 करोड़ के बजट अनुमानों का 11.84 *प्रतिशत*) के अधिक अनुमानों को दर्शाया गया है। शिक्षा, स्थानीय शासन, खाद्य एवं पूर्ति, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, ऊर्जा तथा बिजली तथा सिंचाई से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत पर्याप्त बचतें प्रदर्शित की गई हैं।

1.4 निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, हरियाणा सरकार ने ₹ 4,977.33 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर ली तथा उसे इसी वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष लिया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी अधिविकर्ष नहीं लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

वर्ष 2020-21 में राज्य का राजस्व-घाटा ₹ 22,385 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 29,486 करोड़ था। राजकोषीय घाटे की पूर्ति, निवल लोक ऋण (₹ 24,319 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 5,548 करोड़) तथा आकस्मिकता निधि में बढौतरी (₹ 800 करोड़) तथा नगद शेष की बढ़ोतरी { ₹ (-) 1,181 करोड़ } द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 67,561 करोड़) का लगभग 72 *प्रतिशत*, वेतन (₹ 21,961 करोड़) ब्याज-अदायगी (₹ 17,115 करोड़) तथा पेंशन (₹ 9,713 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च हुआ।

निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
स्त्रोत	
01 अप्रैल 2020 को आरंभिक रोकड़ शेष	(-)1,644
राजस्व प्राप्तियाँ	67,561
पूंजीगत प्राप्तियाँ	63
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	432
लोक ऋण	53,817
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,605
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	2,859
जमा प्राप्तियाँ	37,408
सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखे	84,455**
प्रेषण	8,795
आकस्मिकता निधि	800
योग	2,58,151
अनुप्रयोग	
राजस्व व्यय	89,946
पूंजीगत व्यय	5,870
प्रदत्त ऋण	926
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिम सहित्)	29,498
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	800
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,570
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	2,264
जमा का पुनर्भुगतान	35,859
प्रदत्त सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखे	82,125**
प्रेषण	8,756
31 मार्च 2021 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)463
योग	2,58,151

₹ 81,841 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

₹ 81,073 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा भी सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया?

वास्तविक प्राप्तियाँ

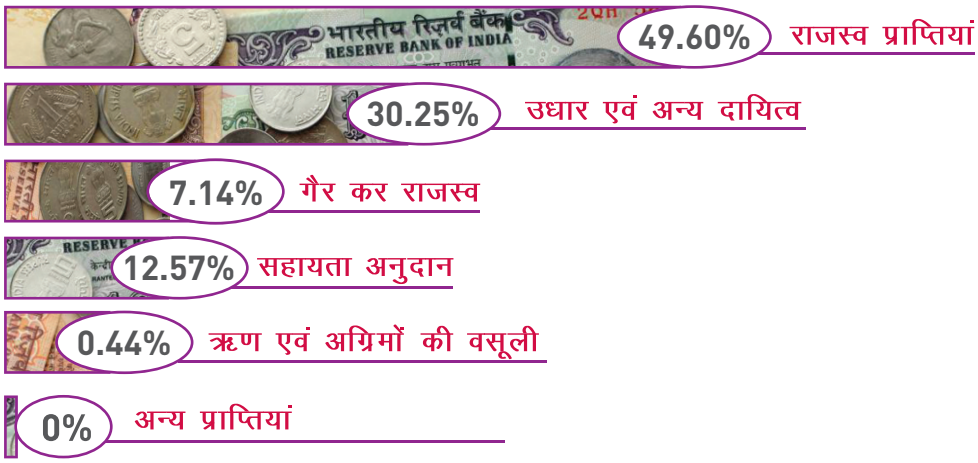

(अन्य प्राप्तियों की राशि न के बराबर थी अतःशून्य दर्शायी गयी है)

1.4.5 ₹ कहाँ व्यय किया गया?

वास्तविक व्यय

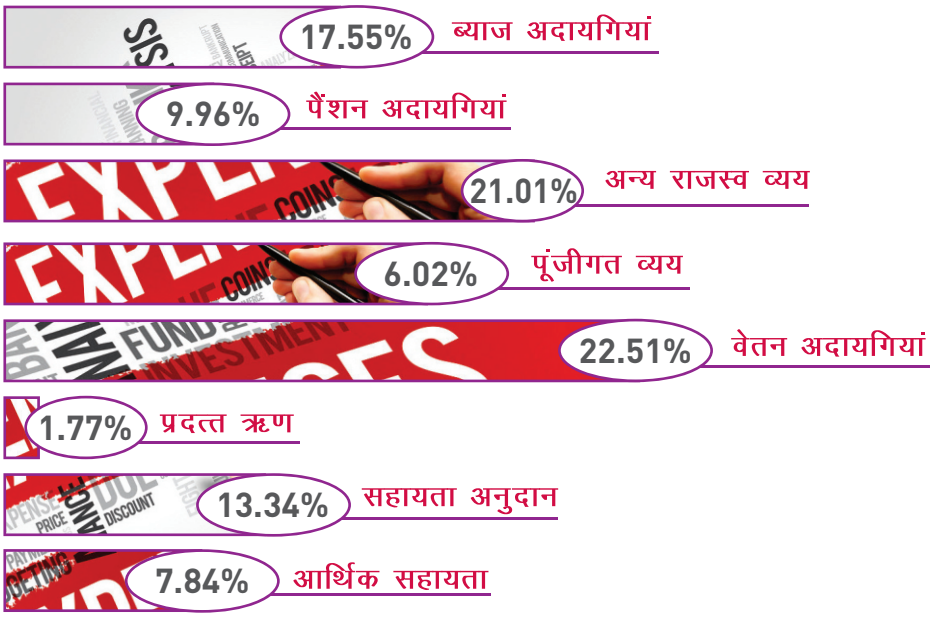

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ का राजस्व घाटा(वर्ष 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ घाटा) तथा ₹ 29,486 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.93 *प्रतिशत* तथा 3.86 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा सकल व्यय का 30.23 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा /आधिक्य

राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप, इसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा /आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। इसलिए, यह अन्तर यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं। हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम में उल्लिखित लक्ष्य तथा लेखों में दर्शाए अनुसार, उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	22,385.59	0.00	2.93 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
2	राजकोषीय घाटा	29,486.08	5.00 या कम	3.86 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
3	ऋण**	2,38,707.88	31.90 या कम	31.21 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 7,64,872.41 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेब साइट पर भी उपलब्ध हैं।*

** *ऋण में सभी ऋण तथा अन्य देयताएँ शामिल हैं परन्तु इस ऋण में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 4,352.00 करोड़ शामिल नही हैं।*

हरियाणा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2020-21 के राज्य के बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति तथा रणनीति विवरणी को प्रस्तुत किया।

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ था जोकि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 1,032 करोड़ की कमी के कारण, चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 29,486 करोड़ रहा। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत था जो कि विनिर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि करता है। वर्ष 2020-21 तक परादेय ऋण (देयताओं सहित) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.90 *प्रतिशत* तक कम करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 31 मार्च 2021 को परादेय ऋण (देयताओं सहित) ₹ 2,38,708 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.21 *प्रतिशत* है।

1.5.1 राजस्व घाटे / आधिक्य के रूझान

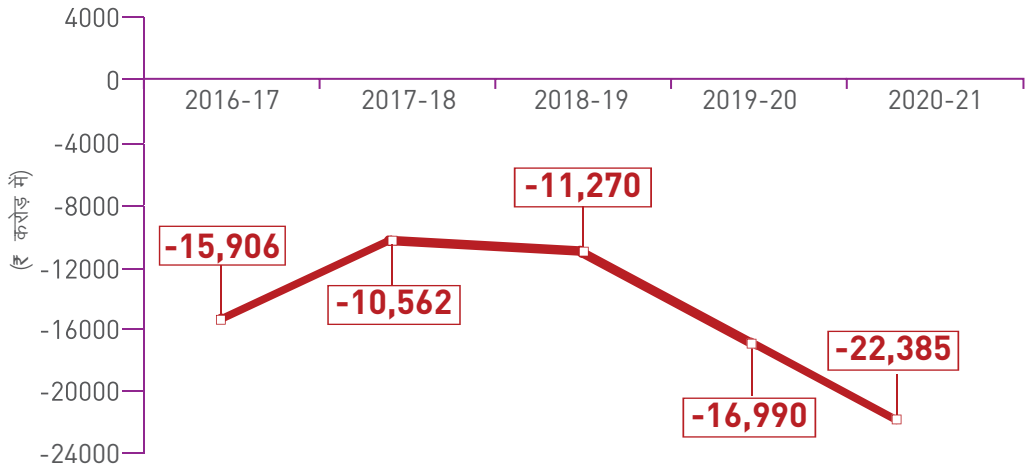

1.5.2 राजकोषीय घाटे के रूझान

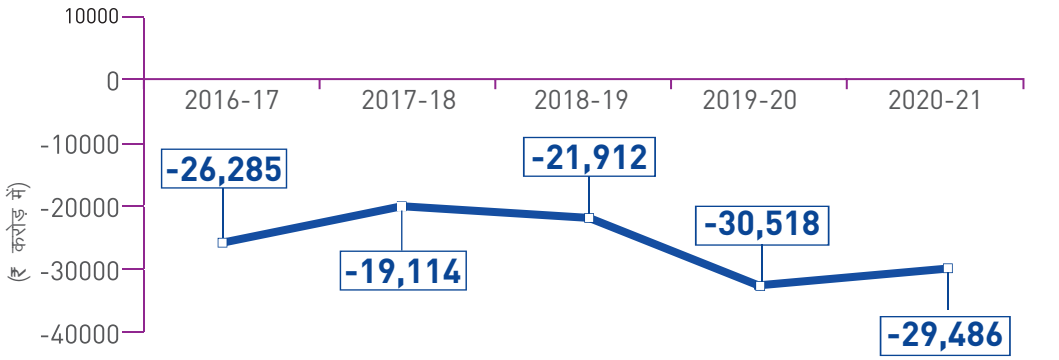

1.5.3 उधार निधि से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूँजीगत व्यय
2016-17	28,170	6,863
2017-18	21,490	13,538
2018-19	34,265	15,307
2019-20	44,432	17,666
2020-21	53,817	5,870

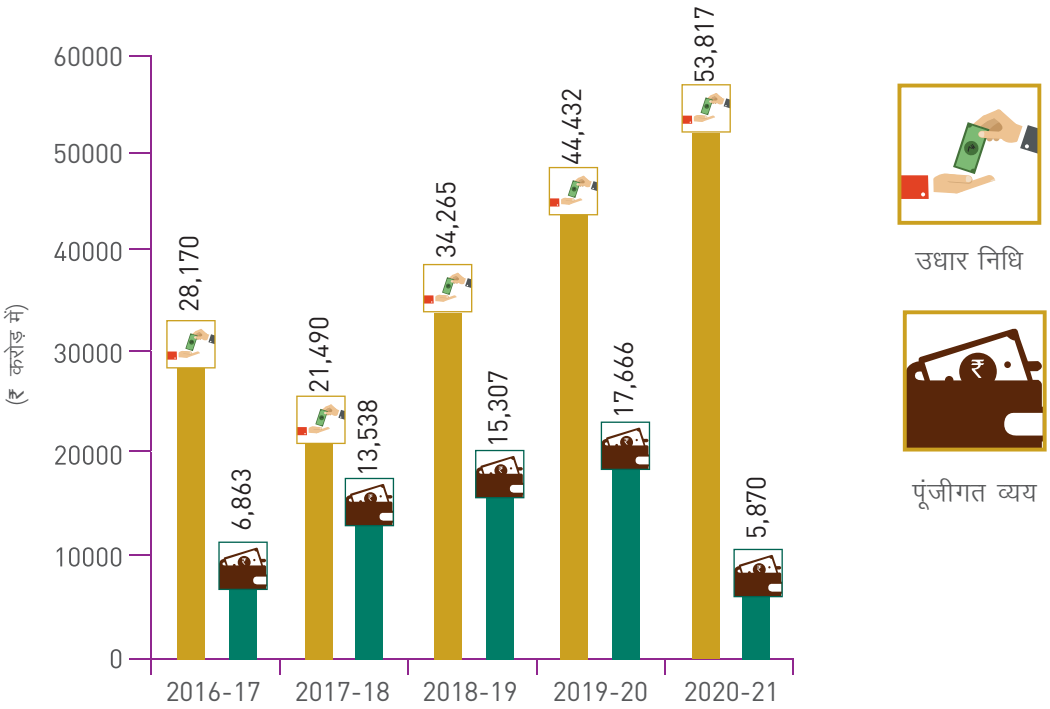

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा पूँजीगत /परिसम्पतियाँ बनाने के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण के लिए ऋण लेती है ताकि उधारी द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर अदायगी कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु उधारी के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों का उपयोग अपेक्षित है। परन्तु राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹ 53,817 करोड़) का केवल 11 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय (₹ 5,870 करोड़) पर तथा 3 *प्रतिशत,* राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों (₹ 1,726 करोड़) (आकस्मिकता निधि को विनियोजन सहित) पर खर्च कर पाई। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधारी का 86 *प्रतिशत* (₹ 46,221 करोड़), पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹ 29,498 करोड़) और ब्याज के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय-2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 97,542 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :: कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायता अनुदान — सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त "बाह्य सहायता अनुदान" तथा "सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण" भी शामिल हैं । बदले में, राज्य-सरकार भी पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि संस्थानों को सहायता अनुदान देती है ।

राजस्व-प्राप्तियाँ

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2020-21)

घटक		वास्तविक आंकडे (₹ करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क.	कर-राजस्व*	48,351	72
	वस्तु तथा सेवा कर	20,143	30
	आय व व्यय पर कर	3,943	6
	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	5,173	8
	वस्तुओं व सेवाओं पर कर	19,092	28
ख.	गैर कर-राजस्व	6,962	10
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	1,725	3
	सामान्य सेवाएँ	337	..
	सामाजिक सेवाएँ	2,948	4
	आर्थिक सेवाएँ	1,952	3
ग.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,248	18
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	67,561	100

** इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्य का निवल आगम का भाग सम्मिलित है ।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	34,026 (7)	41,099 (7)	42,581 (6)	42,825 (5)	41,914 (5)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	6,597 (1)	7,298 (1)	8,255 (1)	7,111 (1)	6,437 (1)
गैर कर-राजस्व	6,196 (1)	9,113 (1)	7,976 (1)	7,400 (1)	6,962 (1)
सहायता अनुदान	5,678 (1)	5,185 (1)	7,073 (1)	10,522 (1)	12,248 (2)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**52,497 (10)**	**62,695 (10)**	**65,885 (9)**	**67,858 (8)**	**67,561 (9)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**5,47,396**	**6,08,471**	**7,07,126**	**8,31,610**	**7,64,872**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2020-21 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं सांख्यांकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए हैं ।

हांलाकि वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.03 *प्रतिशत* की कमी हुई परन्तु राजस्व प्राप्तियों में गिरावट केवल 0.44 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष के मुकाबले, कुल कर राजस्व (संघीय करों के हिस्से सहित) 3.17 *प्रतिशत* तक घटा जबकि गैर कर-राजस्वों में 5.92 *प्रतिशत* तक की कमी देखी गयी परन्तु सहायता अनुदान में 16.40 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों के रूझान

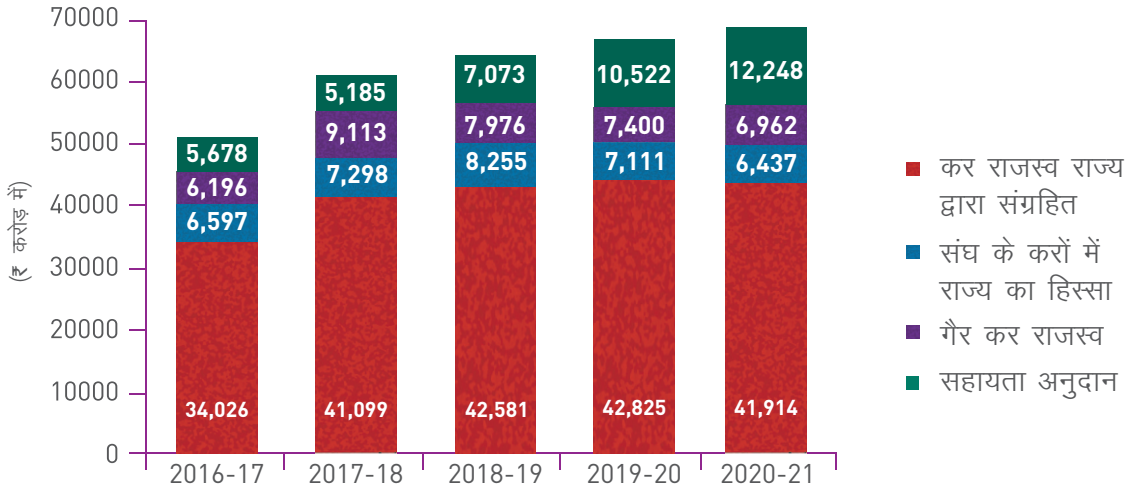

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार कर-राजस्व					
घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क. वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	11,675 (1.92)	20,813 (2.94)	20,891 (2.51)	20,143 (2.63)
ख. आय व व्यय पर कर	3,591 (0.66)	4,124 (0.68)	5,000 (0.71)	4,324 (0.52)	3,943 (0.51)
ग. सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेनों पर कर	3,303 (0.60)	4,210 (0.69)	5,656 (0.80)	6,034 (0.72)	5,173 (0.68)
ध. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	33,729 (6.16)	28,388 (4.66)	19,367 (2.74)	18,687 (2.25)	19,092 (2.50)
कुल कर राजस्व	40,623 (7.42)	48,397 (7.95)	50,836 (7.19)	49,936 (6.00)	48,351 (6.32)
जी. एस. डी. पी.	5,47,396	6,08,471	7,07,126	8,31,610	7,64,872

नोटः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते है।

पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2020-21 में सकल कर राजस्व में कमी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य के हिस्से के कम आबंटन जैसे कि निगम कर (₹1,947 करोड़),केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर (₹ 1,907 करोड़), सीमा- शुल्क (₹ 338 करोड़) तथा राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) (₹ 18,236 करोड़) स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 5,157 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 2,495 करोड़) के तहत कम एकत्रीकरण के कारण हुई जिसे मुख्यतः राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 6,864 करोड़) एवं बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 8,660 करोड़) की वृद्धि से पूरा किया गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों के रूझान

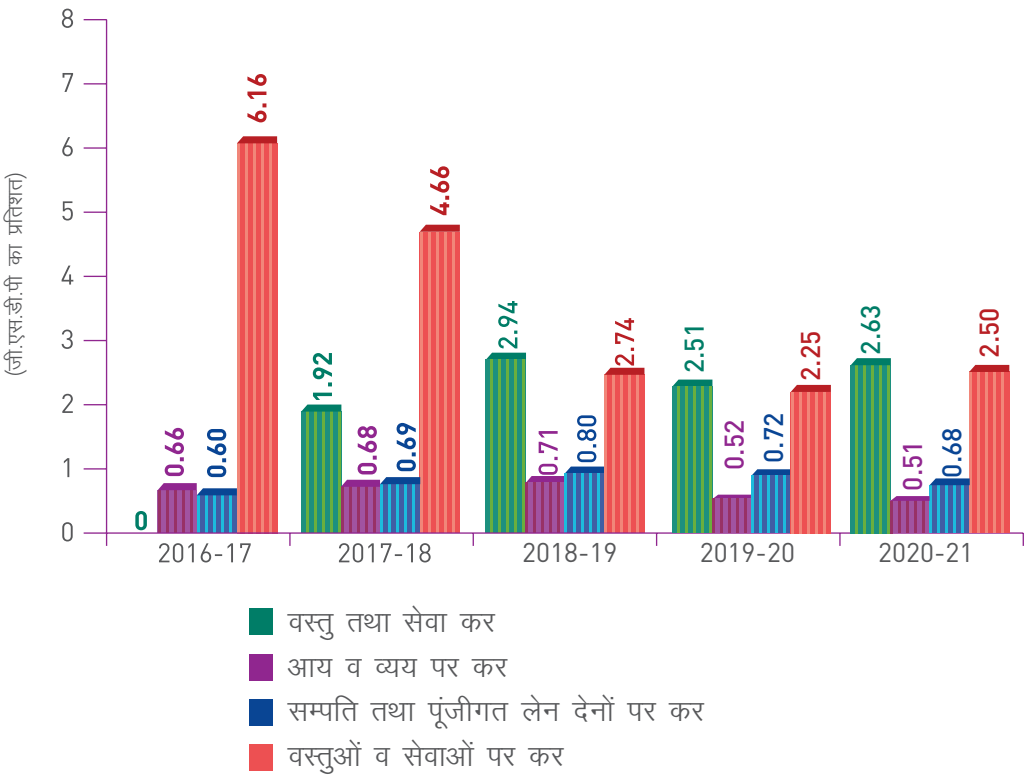

2.3.1 राज्य के निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता है :: राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों का अन्तरण ।

वर्ष	कर राजस्व (करोड़ में)	संघीय करों / शुल्कों में राज्य का अंश (करोड़ में)	राज्य का निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व (करोड़ में)	जी. एस. डी. पी. से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016-17	40,623	6,597	34,026	6.22
2017-18	48,397	7,298	41,099	6.75
2018-19	50,836	8,255	42,581	6.02
2019-20	49,936	7,111	42,825	5.15
2020-21	48,351	6,437	41,914	5.48

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान दो स्त्रोतों से प्राप्त कर राजस्व को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य का निजी कर संग्रहण	34,026	41,099	42,581	42,825	41,914
संघीय करों का अन्तरण	6,597	7,298	8,255	7,111	6,437
सकल कर राजस्व	**40,623**	**48,397**	**50,836**	**49,936**	**48,351**
राज्य के निजी कर की सकल कर राजस्व से प्रतिशतता	*84*	*85*	*84*	*86*	*87*

राज्य के निजी कर संग्रहण का सकल कर राजस्व से अनुपात वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में बढ़कर 85 *प्रतिशत* हो गया, वर्ष 2018-19 में फिर से घटकर 84 *प्रतिशत,* फिर वर्ष 2019-20 में बढ़कर 86 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2020-21 में फिर से बढकर 87 *प्रतिशत* हो गया ।

2.3.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. राज्य वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	10,833	18,613	18,873	18,236
2. भूमि राजस्व	16	18	19	20	17
3. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,283	4,192	5,636	6,013	5,157
4. राज्य उत्पाद शुल्क	4,613	4,966	6,042	6,323	6,864
5. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,488	15,609	8,998	8,398	8,660
6. वाहनों पर कर	1,583	2,778	2,908	2,916	2,495
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	595	2,317	21	16	4
8. विद्युत कर तथा शुल्क	276	306	337	262	476
9. अन्य कर	172	79	7	4	5
कुलः राज्य के निजी कर	**34,026**	**41,099**	**42,581**	**42,825**	**41,914**

2.4 कर संग्रहण पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रहण	23,488	15,609	8,998	8,398	8,660
संग्रहण पर व्यय	142	148	151	172	207
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.60	0.95	1.68	2.05	2.39
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रहण	4,613	4,966	6,042	6,323	6,864
संग्रहण पर व्यय	35	42	38	47	53
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.76	0.85	0.63	0.74	0.77
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व संग्रहण	2,178	5,095	2,929	2,932	2,499
संग्रहण पर व्यय	29	38	56	58	77
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	1.35	0.75	1.91	1.98	3.08
4. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रहण	3,283	4,192	5,636	6,013	5,157
संग्रहण पर व्यय	11	10	9	10	9
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.34	0.24	0.16	0.17	0.17

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा वाहन, माल एवं यात्री, कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	105	2,038	2,018	1,907
एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	737	163	शून्य	शून्य
निगम कर	2,118	2,236	2,871	2,425	1,947
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,472	1,888	2,114	1900	1,996
आय और व्यय पर अन्य कर	शून्य	शून्य	15	शून्य	शून्य
सम्पत्ति कर	5	शून्य	1	शून्य	शून्य
सीमा शुल्क	911	737	585	451	338
संघीय आबकारी शुल्क	1,041	770	389	313	216
सेवा कर	1,050	825	75	शून्य	28
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा	शून्य	शून्य	4	4	5
संघीय करों /शुल्कों में राज्य का अंश	6,597	7,298	8,255	7,111	6,437
कुल कर राजस्व	40,623	48,397	50,836	49,936	48,351
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	16	15	16	14	13

हरियाणा सरकार को वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान, कुल कर राजस्व का 13 *प्रतिशत* से 16 *प्रतिशत* हिस्सा, सभी बांटने योग्य संघीय करों की निवल आगम से प्राप्त हो रहा है।

2.6 सहायतानुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियाँ ₹ 12,248 करोड़ थी जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

सहायतानुदान

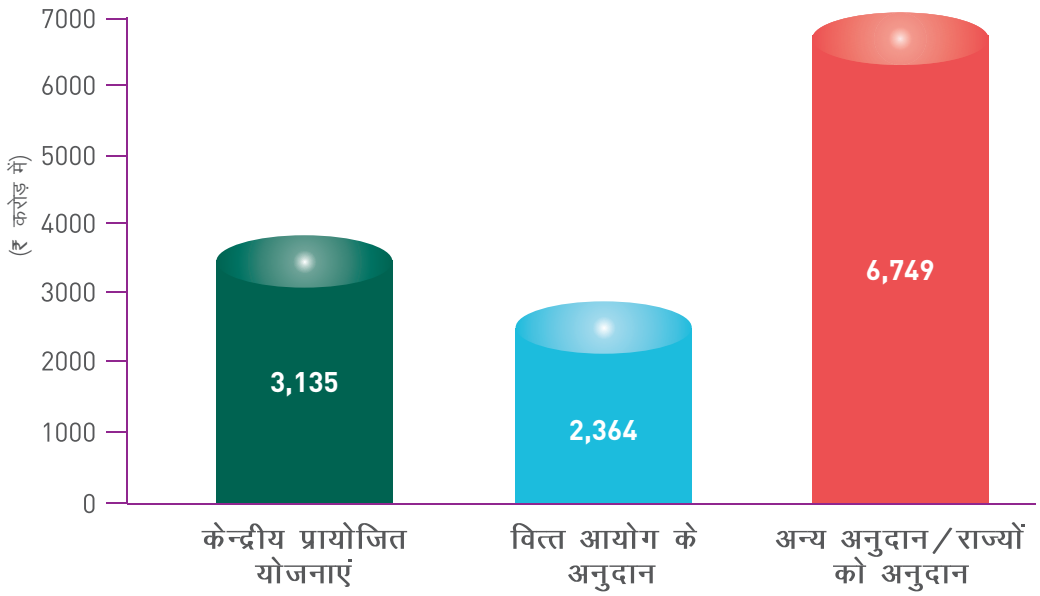

सहायतानुदान के रूझान

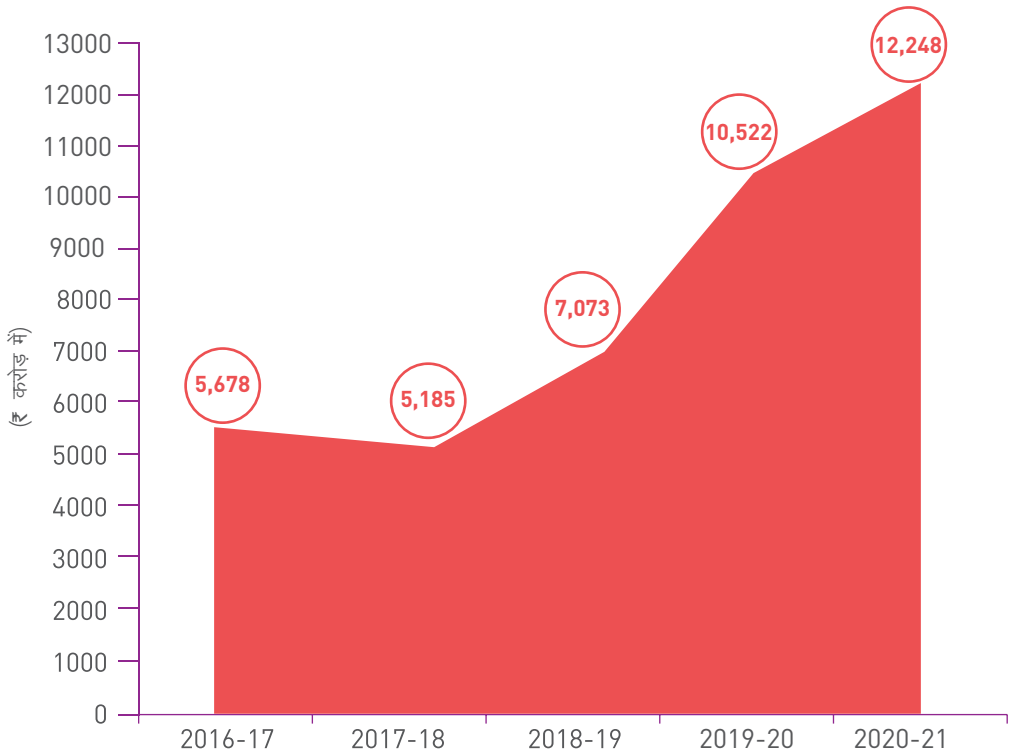

2.7 लोक ऋण

पिछले पाँच वर्षों में लोक ऋण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आन्तरिक ऋण	1,22,617	1,37,813	1,54,968	1,83,786	2,03,958
केन्द्रीय ऋण	1,986	1,941	1,867	1,705	1,500**
कुल जोड़	1,24,603	1,39,754	1,56,835	1,85,491	2,05,458

** *केन्द्रीय ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 4,352.00 करोड़ शामिल नही हैं।*

वर्ष 2020-21 में, ₹ 30,000 करोड़ के सत्रह ऋण, 4.40 *प्रतिशत* से 8.00 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से, खुला-बाजार से उठाये गए थे जो वर्ष 2022-41 तक प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 14,180 करोड़ के ऋण तथा अन्य ऋणों के द्वारा ₹ 183 करोड़ उठाये । भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 4,977.33 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 49,340 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 4,477 करोड़ भी प्राप्त हुए।

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

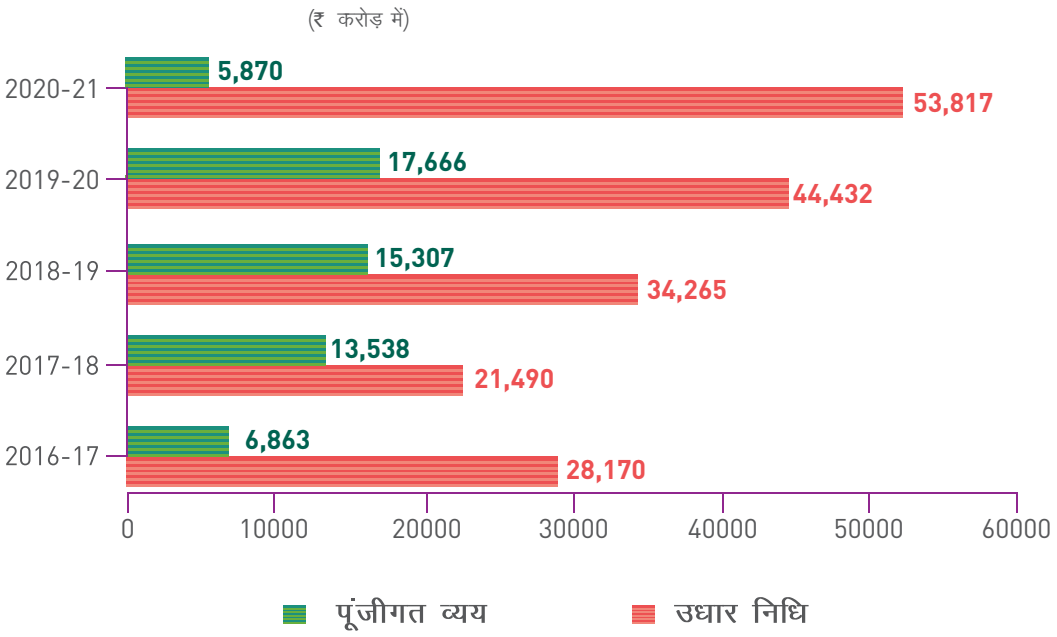

अध्याय-3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय आवर्ति प्रकृति का होता है व इसका उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है तथा इसे राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाना होता है। पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

3.2 राजस्व व्यय

विनियोग लेखों के अनुसार पिछले पाँच वर्षो के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्ययों की कमी का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बजट अनुमान	79,284	86,715	91,072	1,00,755	1,13,664
वास्तविक आंकड़े	68,766	73,491	77,365	85,180	90,671
अन्तर	10,518	13,224	13,707	15,575	22,993
वास्तविक आंकड़ों के अन्तर की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	13	15	15	15	20

(स्रोत- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (25 *प्रतिशत*) के कारण, राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय का लगभग 54 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन (₹ 21,961 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 17,115 करोड़) तथा पैंशन (₹ 9,713 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के 'प्रतिबद्ध दायित्व' हैं।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल राजस्व व्यय	68,403	73,257	77,155	84,848	89,946
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	32,511	38,548	41,103	46,142	48,789
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	*48*	*53*	*53*	*54*	*54*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	35,892	34,709	36,052	38,706	41,157

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज तथा पैंशन भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में, वर्ष 2016-17 (₹ 35,892 करोड़) से वर्ष 2020-21 में (₹41,157 करोड़) 15 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2016-17 (₹ 68,403 करोड़) से वर्ष 2020-21 में (₹ 89,946 करोड़) 31 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 50 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण (2020-21)

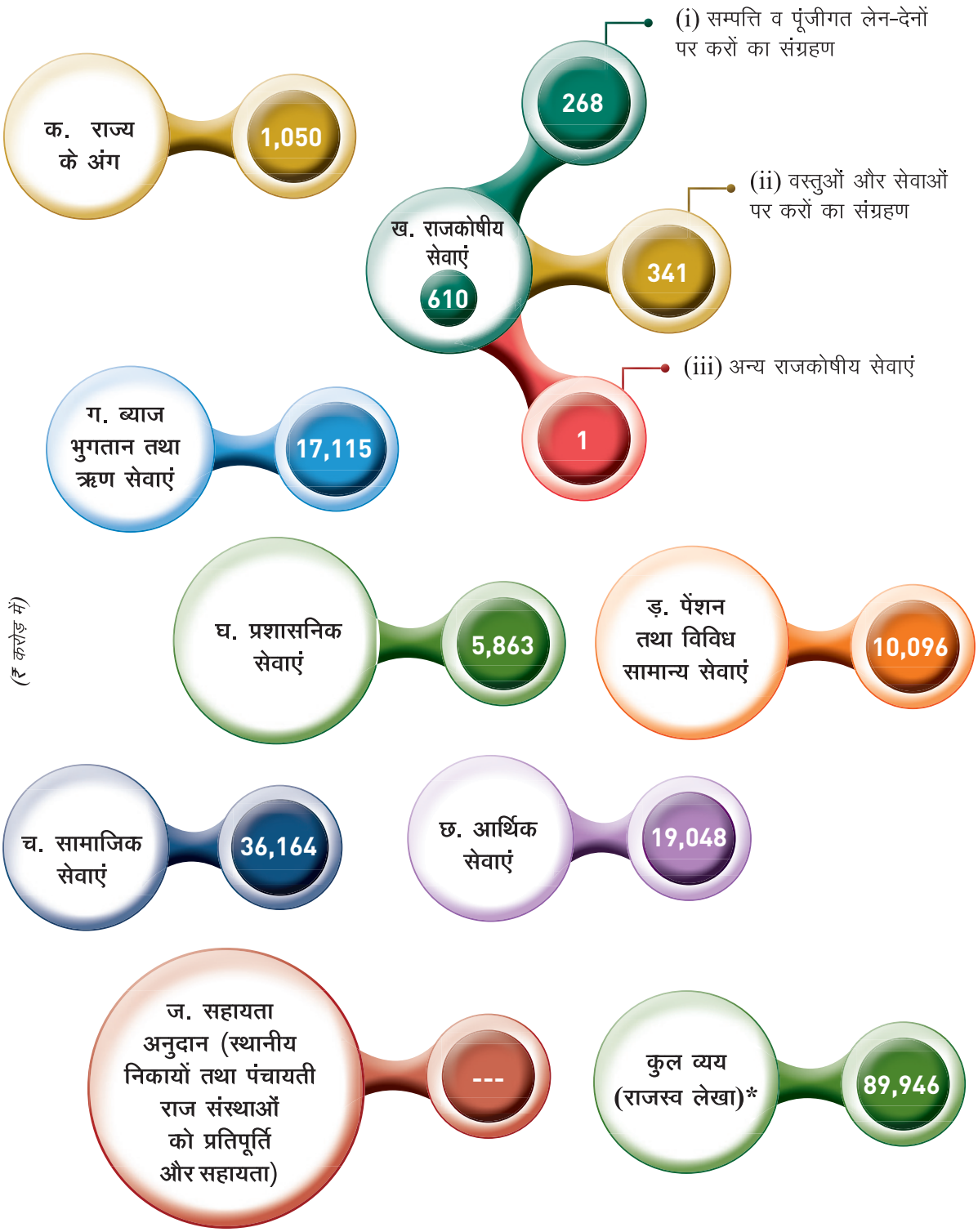

** (शुद्धः वसूलियां घटाने के बाद)*

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2016-17 से 2020-21)

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामाजिक सेवाएँ	25,473	28,061	29,743	33,726	36,164
आर्थिक सेवाएँ	20,875	18,107	19,021	19,238	19,048
ऋण सेवाएँ	*10,542*	*11,961*	*13,551*	*15,588*	*17,115*
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं के अतिरिक्त)	11,089	14,738	14,618	16,296	17,619

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों के रूझान

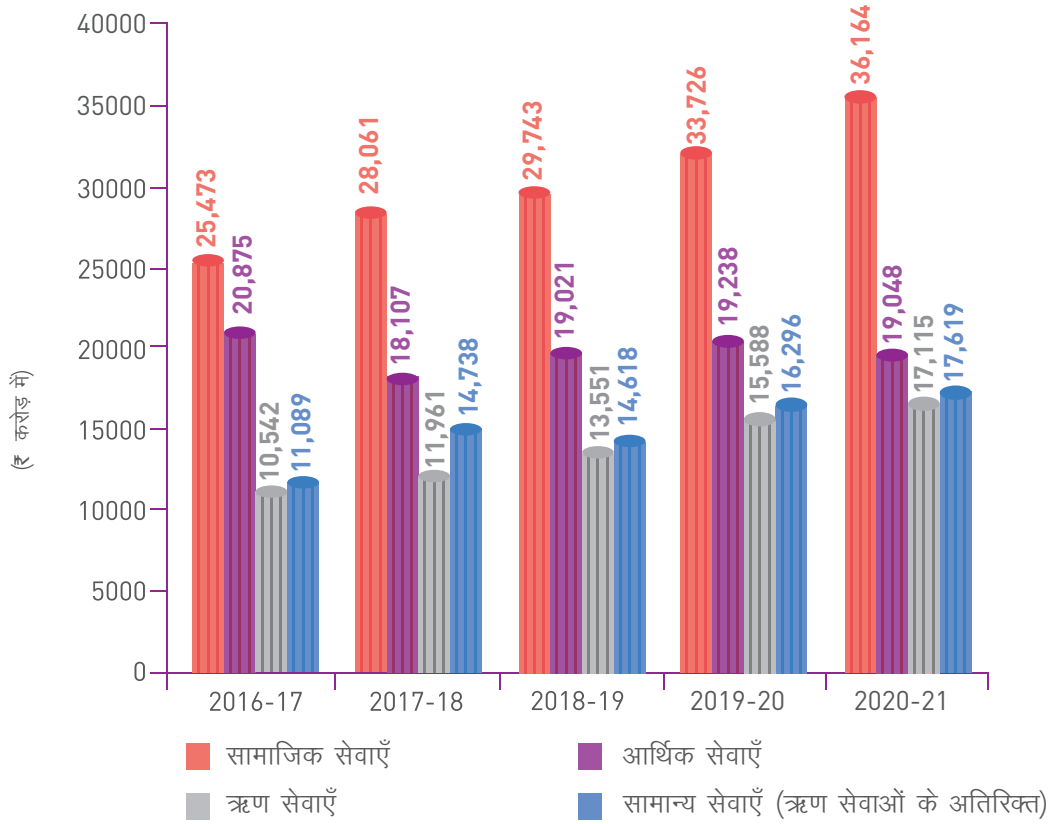

3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय विकास प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2020-21 में ₹ 5,870 करोड़ का पूँजीगत व्यय (जी. एस. डी. पी. का 1 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 8,185 करोड़ कम था। वर्ष 2017-18 के बाद पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानंतर वृद्धि नहीं हुई ।

यह नीचे की सारणी से प्रतीत होता है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	बजट अनुमान*	8,817	11,122	19,573	19,563	14,055
2	वास्तविक पूंजीगत व्यय (#)	6,863	13,538	15,307	17,666	5,870
3	वास्तविक पूंजीगत व्यय से बजट अनुमानों की प्रतिशतता	78	122	78	90	42
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	(-)1	97	13	15	(-)67
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,47,396	6,08,471	7,07,126	8,31,610	7,64,872
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	11	11	16	18	(-)8

**आंकड़े विनियोग लेखों के अनुसार हैं जिसमे वसूली, व्यय की कमी के साथ में सम्मिलित हैं।*
 # इसमें ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,103 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 690 करोड़ तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 413 करोड़) का व्यय किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 1,372 करोड़ का खर्च किया तथा सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 707 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंको तथा समितियों के द्वारा ₹ 63 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएँ	399 (3)	481 (3)	715 (4)	586 (3)	388 (6)
सामाजिक सेवाएँ	1,587 (14)	3,173 (21)	3,805 (24)	3,234 (17)	2,986 (44)
आर्थिक सेवाएँ	4,877 (43)	9,884 (66)	10,787 (67)	13,846 (73)	2,496 (37)
ऋण और अग्रिम	4,515 (40)	1,395 (10)	756 (5)	1,309 (7)	926 (13)
कुल पूँजीगत व्यय	**11,378**	**14,933**	**16,063**	**18,975**	**6,796**

नोटः कोष्ठकों में दर्शाये आंकड़े, कुल पूँजीगत व्यय से प्रतिशतता बताते हैं।

पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

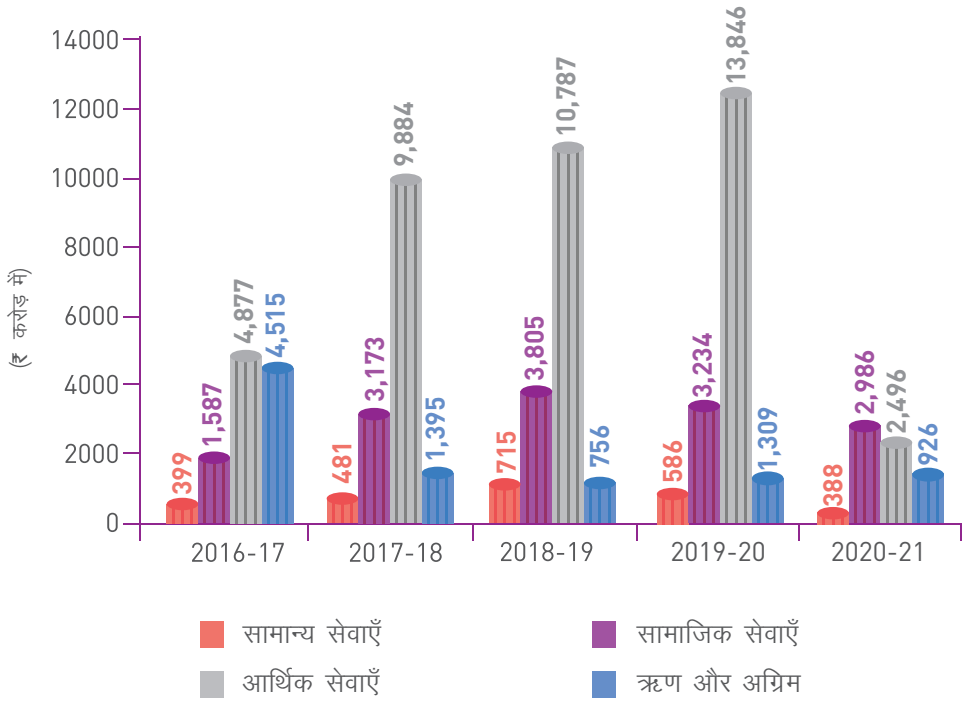

3.3.3. पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र-वार विवरण निम्न दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड	प्रवर्ग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क)	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	399	481	715	586	388
		राजस्व	21,631	26,699	28,169	31,884	34,734
(ख)	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	1,587	3,173	3,805	3,234	2,986
		राजस्व	25,473	28,061	29,743	33,726	36,164
(ग)	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	4,877	9,884	10,787	13,846	2,496
		राजस्व	20,875	18,107	19,021	19,238	19,048
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		राजस्व	424	390	222	--	--

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष के मुकाबले, 2020-21 में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन पर व्यय में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

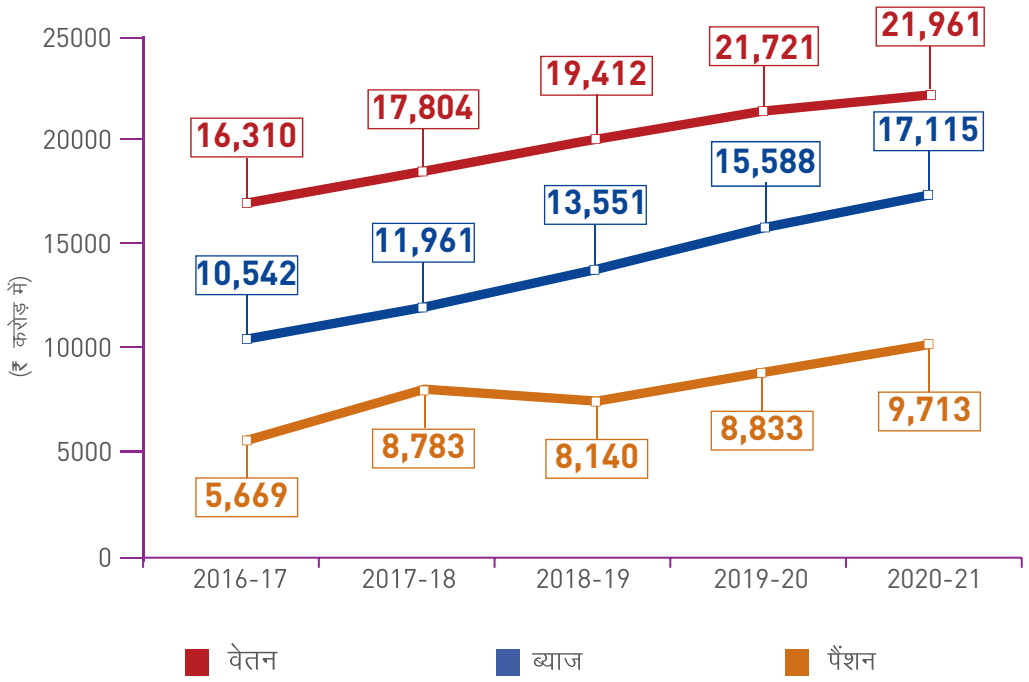

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ प्रतिबद्ध व्यय के तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से हैं:

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रतिबद्ध व्यय	32,511	38,548	41,103	46,142	48,789
राजस्व व्यय	68,403	73,257	77,155	84,848	89,946
राजस्व प्राप्तियाँ	52,497	62,695	65,885	67,858	67,561
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	62	61	62	68	72
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व व्यय से प्रतिशतता	48	53	53	54	54

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक, प्रतिबद्ध व्यय में, 50 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि उसी समय के दौरान, राजस्व व्यय 31 *प्रतिशत* बढा जिस कारण, विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय-4

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	स्वीकृत	87,611	7,502	21,799	73,314	73,367	53
	प्रभारित	18,551	..	1,009	17,542	17,304	(-) 238
2.	**पूंजीगत**						
	स्वीकृत	29,611	1,653*	11,352	19,912	21,243	1,331
	प्रभारित	200	..	130	70	71	1
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	22,592	11,072	683	32,981	29,497	(-)3,484
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	स्वीकृत	1,213	..	470	743	926	183
	जोड़						
	स्वीकृत	**1,18,435**	**9,155**	**33,621**	**93,969**	**95,536**	**1,567**
	प्रभारित	**41,343**	**11,072**	**1,822**	**50,593**	**46,872**	**(-)3,721**

** इसमें आकस्मिकता निधि को विनियोजन के ₹ 800 करोड़ शामिल हैं।*

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य के रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2016-17	(-) 10,518	(-) 4,393	(-) 4,402	(-) 276	**(-) 19,589**
2017-18	(-) 13,224	(-) 4,988	(-) 3,606	(-) 209	**(-) 22,027**
2018-19	(-) 13,707	(-) 3,325	(-) 2,082	(-) 1,256	**(-) 20,370**
2019-20	(-) 15,575	(-) 6,164	(-) 4,482	(-) 373	**(-) 26,594**
2020-21	(-) 185	1,332	(-) 3,484	183	**(-) 2,154**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है।

विगत पाँच वर्षो के निरन्तर तथा महत्वपूर्ण निवल बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
4	राजस्व	--	--	328	382	219
7	आयोजना तथा सांख्यिकी	283	122	332	191	211
8	भवन तथा सड़कें	1,880	1,464	1,142	1,374	1,014
9	शिक्षा	3,436	2,446	1,900	787	5,274
10	तकनीकी शिक्षा	--	--	68	58	178
11	खेलकूद तथा युवा कल्याण	106	226	119	130	220
12	कला एवं संस्कृति	4	--	10	122	110
13	स्वास्थ्य	--	849	920	760	1,746
14	नगर विकास	--	554	39	1,394	939
15	स्थानीय शासन	--	1,463	2,169	2,264	3,771
16	श्रम	--	--	5	7	8
17	रोजगार	--	--	45	70	245
18	उद्यौगिक प्रशिक्षण	--	136	238	234	410
19	अनुसूचित जातियों तथा पिछडे. वर्गो का कल्याण	222	369	335	232	145
21	महिला तथा बाल विकास	406	343	554	537	478
23	खाद्य एवं पूर्ति	--	--	294	973	3,248
25	उद्योग	439	242	357	63	80
26	खान एवं भू-विज्ञान	-	--	13	23	25
27	कृषि	827	649	957	1,543	1,703
28	पशुपालन तथा डेरी विकास	--	--	108	198	301
29	मछली पालन	--	43	33	23	56
30	वन तथा वन्य प्राणी	98	143	145	178	67
31	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	--	3	8	1	3
32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	--	2,394	1,358	1,613	2,642
35	पर्यटन	36	52	25	12	15
37	निर्वाचन	--	38	31	171	30
39	सूचना तथा प्रचार	--	--	224	41	84
41	इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्यौगिकी	31	--	65	102	32
44	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	16	18	11	14	15
	लोक ऋण	4,402	3,606	2,082	4,482	4,167
45	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	--	209	1,256	373	287

नोट :- गैर महत्वपूर्ण बचत को -- से दर्शाया गया है।

शिक्षा, स्थानीय शासन, खाद्य एवं पूर्ति, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, ऊर्जा तथा विद्युत तथा सिंचाई के अधीन निरन्तर व्यापक बचतें, योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट-अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुछ मामलों में, कुल ₹ 20,227 करोड़ के अनुपूरक अनुदान (सकल व्यय ₹1,42,409 करोड़ का 14.20 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुए। वर्ष के अन्त में, मूल बजट के विरूद्ध हुई बचतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
4	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05- राज्य आपदा राहत निधि 101- रिजर्व निधि और जमा खातों में हस्तांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99- राज्य और केन्द्र योगदान	राजस्व	625	103	655
13	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलौपेथी 110- अस्पताल व औषधालय 49- शहरी अस्पताल व औषधालयों का सुदृढ़ीकरण	राजस्व	842	95	743
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 001 - निदेशन तथा प्रशासन 91- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ) शहरी स्थानीय निकाय (डी.एल.बी.- पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	राजस्व	54	193	..
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, टाउन में सहायता सुधार बोर्ड आदि 96- स्टाम्प शुल्क की आय से नगर निगम के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	राजस्व	532	1,074	203
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192-नगर पालिका/ नगर परिषदों के लिए सहायता 86- नई शहरी नवीकरण मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.)	राजस्व	625	385	369
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192- नगर पालिका/ नगर परिषदों के लिए सहायता 92- स्टाम्प शुल्क की आय से पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	राजस्व	346	57	71

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
18	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03- प्रशिक्षण 001- निदेशन तथा प्रशासन 91- गाँव दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	राजस्व	160	100	105
23	2408- खाद्य, भंडारण तथा भांडागार 01- खाद्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 98- क्षेत्रीय अमला	राजस्व	279	190	275
23	2408- खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार 01- खाद्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 93- अंत्योदय आहार योजना	राजस्व	300	173	288
38	2215- जलापूर्ति तथा सफाई 01- जलापूर्ति 001- निदेशन तथा प्रशासन 89- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) सार्वजनिक स्वास्थ्य (पी.यू.एच.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	राजस्व	..	365	..
38	4215- जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01- जल पूर्ति 102- ग्रामीण जल पूर्ति 98- तवरित ग्रामीण जल पूर्ति 99- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना-अधिकृत (केन्द्रीय)	पूंजी	242	475	233
40	2801- बिजली 80- सामान्य 001 - निदेशन तथा प्रशासन 98 - कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) शक्ति (पी.ओ.डब्ल्यू.-पी.एल.ओ-आर.ई.वी.)	राजस्व	..	242	..
40	2801- बिजली 05- संचरण तथा वित्तरण 800 - अन्य व्यय 99 - एच.वी.पी.एन.एल./ एच.पी.जी.सी.एल. को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता	राजस्व	6,040	610	5,100

अध्याय-5

परिसम्पतियाँ तथा दायित्व

5.1 परिसम्पतियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड़ कर, सही तरह नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसे लेखे केवल चालू-वर्ष की देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते। वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2020-21 के अन्त में, गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूँजी के रूप में कुल निवेश, ₹ 37,567 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान, ₹ 163 करोड़ (कुल निवेश का 0.43 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान, निवेश में ₹ 644 करोड़ (निवल) की तथा लाभांश में ₹ 76 करोड़ की वृद्धि हुई।

01 अप्रैल 2020 को, भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹(-)1,644 करोड़ था जो मार्च 2021 के अन्त तक बढकर ₹ (-)463 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 में, सरकार ने 138 अवसरों पर, ₹ 81,073 करोड़ का 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 81,841 करोड़ के मूल्य का, 175 अवसरों पर खजाना बिलों का पुनः बटटा चुकाया। वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

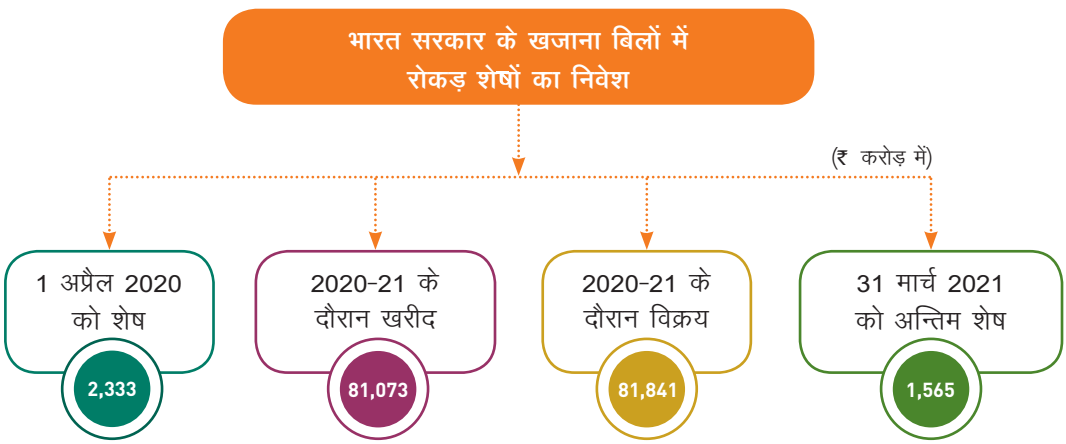

5.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, राज्य की समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है ।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षो का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

वर्ष	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	लोक लेखा (*) (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	कुल दायित्व (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता
2016-17	1,24,603	23	21,768	4	1,46,371	27
2017-18	1,39,754	23	24,322	4	1,64,076	27
2018-19	1,56,835	22	27,381	4	1,84,216	26
2019-20	1,85,491	22	30,071	4	2,15,562	26
2020-21	2,05,458**	27	33,250	4	2,38,708	31

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।
*** लोक ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 4,352.00 करोड़ शामिल नही हैं।*
नोटः आंकड़े वर्ष के अन्त तक प्रगतिशील शेष हैं ।

2020-21 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से, ₹ 23,146 करोड़ (11 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

सरकारी देनदारियों के रूझान

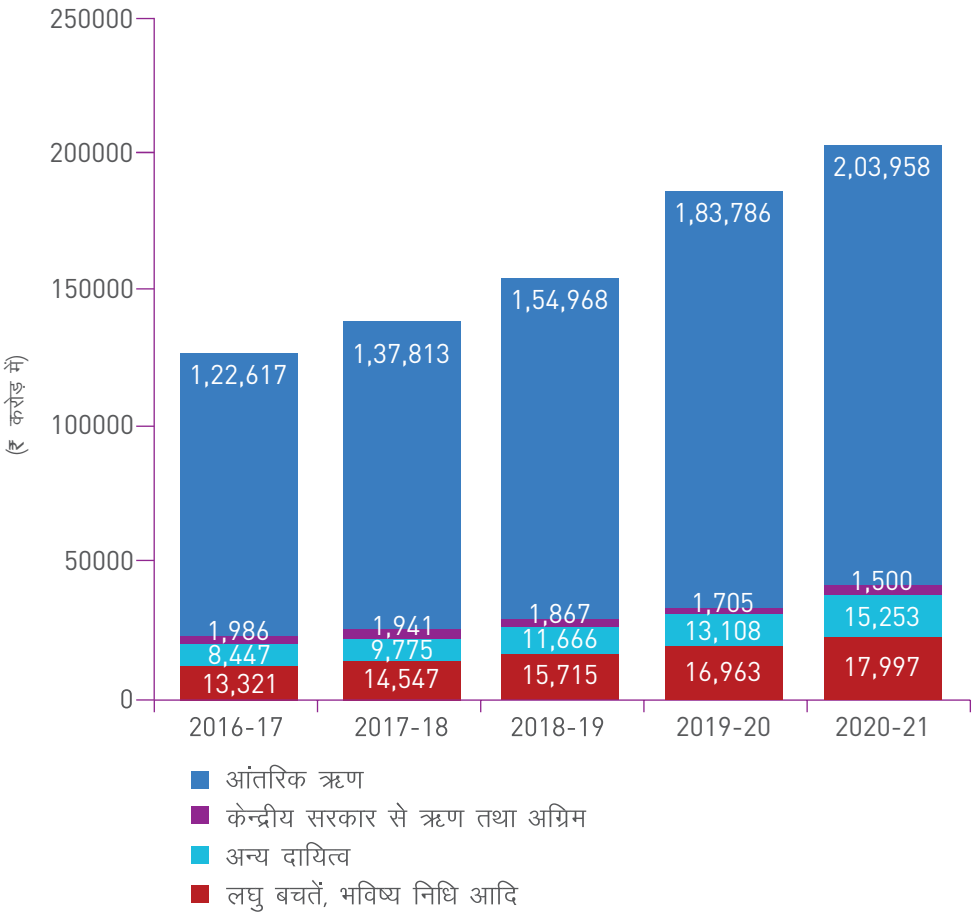

5.3 गारंटियां

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटियां भी देती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋण/पूँजी तथा उस पर ब्याज जिनके लिए गारंटी दी गई थी, की अदायगी न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन गारंटियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विगत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2016-17	17,911	8,244*	उपलब्ध नही
2017-18	19,000	14,138*	उपलब्ध नही
2018-19	20,654	18,220*	उपलब्ध नही
2019-20	22,560	20,738*	उपलब्ध नही
2020-21	25,492	23,053*	उपलब्ध नही

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

अध्याय-6

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटियां भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के खातों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी लेखों में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम बयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2021 को, हरियाणा राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2020-21 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 7,884.05 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इनमें से, सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि ₹ 7,671.61 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के अन्त मे ₹ 55.26 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई । वर्ष 2020-21 के दौरान, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली के तौर पर ₹ 431.95 करोड़ की राशि (विद्युत वितरण कम्पनियों के ₹ 225.87 करोड़ सहित) प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 65.63 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे ।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों की राशि वर्ष 2016-17 के ₹ 12,647 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 13,012 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों, (पंचायती राज संस्थानों) तथा नगरपालिकाओं/नगर-परिषदों को दिए गए अनुदान (₹ 6,002 करोड़), वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 46 *प्रतिशत* है।

विगत पाँच वर्षों में दिए गए सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	जिला परिषद	2,264	2,283	2,547	3,098	3,236
2	नगर पालिका	1,586	2,467	2,092	2,279	2,766
3	सरकारी कम्पनियां	1,118	1,101	शून्य	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	4,791	1,022	1,350	1,745	2,108
5	विश्वविद्यालय	2,130	2,103	2,093	2,497	2,468
6	विकास प्राधिकरण	758	868	866	813	1,104
7	अन्य	शून्य	शून्य	1,130	905	1,330
	जोड़	12,647	9,844	10,078	11,337	13,012

सहायता अनुदान

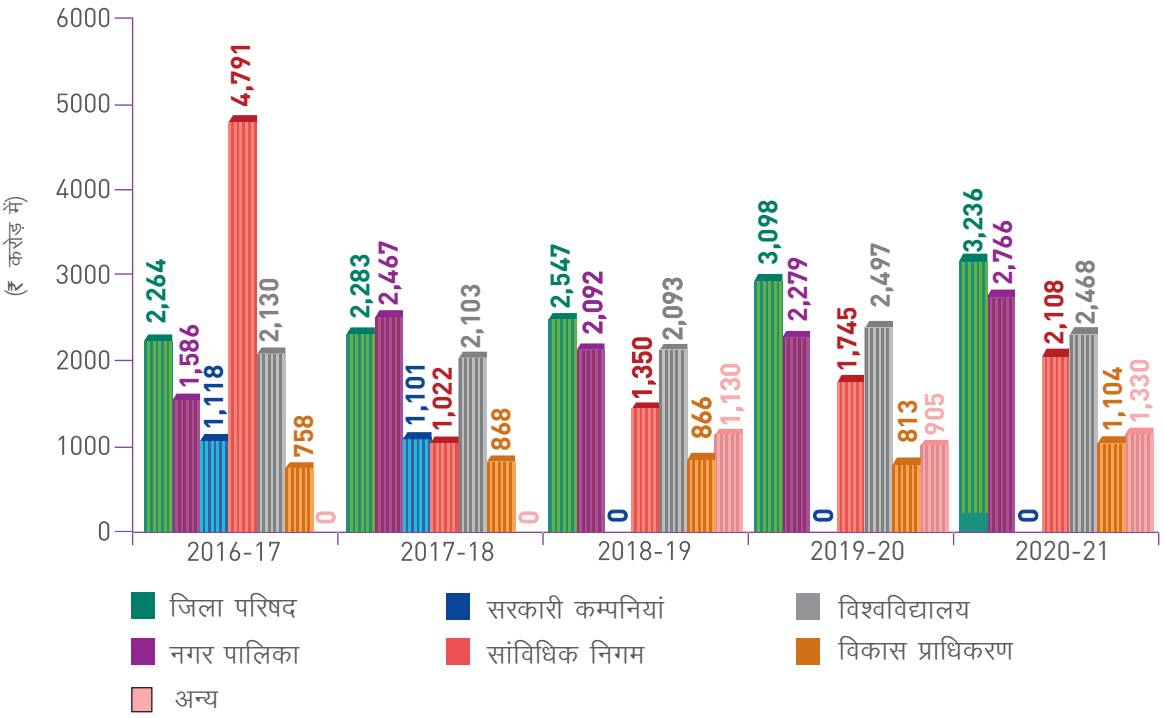

विगत पाँच वर्षों में पूजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंवटित सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	जिला परिषद	शून्य	1,545	2,336	2,991	3,105
2	नगर पालिका	373	2,145	1,028	1,387	2,188
3	सरकारी कम्पनियां	59	14	शून्य	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	11	117	43	16	21
5	विश्वविद्यालय	122	153	183	173	38
6	विकास प्राधिकरण	7	133	143	156	151
7	अन्य	शून्य	शून्य	142	140	206
	जोड़	572	4,107	3,875	4,863	5,709

6.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2020 की स्थिति	31 मार्च 2021 की स्थिति	निवल बढौतरी (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	(-) 1,644	(-) 463	1,181,
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	2,333	1,565	(-) 768
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	3,308	2,043	(-) 1,265
(क) निक्षेप निधि	2,082	717	(-) 1,365
(ख) गारंटी विमोचन निधि	1,224	1,323	99
(ग) अन्य निधियां	2	3	1
वर्ष के दौरान वसूल ब्याज	77	30	(-) 47

31 मार्च 2020 को, राज्य सरकार का रोकड़ शेष नकारात्मक था। रोकड़ शेष के निवेशों पर, वर्ष 2019-20 (₹ 77 करोड़) की तुलना में, वर्ष 2020-21 (₹ 30 करोड़) में 61 *प्रतिशत* कम ब्याज की प्राप्ति हुई।

6.5 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए, सभी नियंत्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। वर्ष के दौरान, ₹ 67,623.97 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों एवं ₹ 95,816.30 करोड़ (कुल व्यय का 100 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया।

6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण

वित्त लेखे 2020-21, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 24 कोषालयों, 59 लोक निर्माण (भवन तथा सडकें) मंडलों, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डलों, 86 सिंचाई मंडलों, 40 वन मण्डलों, 39 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है । लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखों की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल

सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नही होने पर, वे सेवा शीर्षों को नामे करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत हैं। डी.डी.ओ. द्वारा उद्देश्य की पूर्ति (जिसके

लिए अग्रिम आहरित किया गया था) की तारीख से एक से छह महीने के भीतर, अंतिम व्यय से संबंधित वाउचर सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सहायक डी.सी.सी. बिलों को देरी से प्रस्तुत करने अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करने से ए. सी. बिलों के द्वारा किया गया व्यय अपारदर्शी हो जाता है तथा वित्त लेखों में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम नहीं माना जा सकता।

31 मार्च 2021 तक, असमायोजित ए. सी. बिलों (जिन के डी.सी.सी. बिल अभी प्रस्तुत किए जाने हैं) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	लंबित डी.सी.सी. बिल	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	84*	8.40
2019-20	182	214.03
2020-21	453	549.65
जोड़	**719**	**772.08**

* वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 के लिए प्रत्येक का एक। वर्ष 2018-19 के बयासी।

डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत न करने वाले मुख्य दोषी विभाग हैं : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (₹ 629.95 करोड़), स्वास्थ्य विभाग (₹ 75.62 करोड़), सामान्य शिक्षा विभाग (₹ 35.84 करोड़) तथा परिवहन विभाग (₹ 16.85 करोड़)।

6.8 उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेषों की गणना की जाती है। विगत पाँच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण उचन्त मदों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(क)8658-उचन्त लेखे										
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त	25.25	0.01	14.42	0.01	20.40	0.04	26.69	0.01	30.76	0.01
निवल	**25.24 नामे**		**14.41 नामे**		**20.36 नामे**		**26.68 नामे**		**30.75 नामे**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	27.29	0.30	14.66	0.30	14.89	शून्य	109.94	शून्य	15.79	शून्य
निवल	**26.99 नामे**		**14.36 नामे**		**14.89 नामे**		**109.94 नामे**		**15.79 नामे**	
107- नकद समायोजन उचन्त लेखा	200.83	48.73	121.95	68.33	53.07	शून्य	52.88	शून्य	42.08	शून्य
निवल	**152.10 नामे**		**53.62 नामे**		**53.07 नामे**		**52.88 नामे**		**42.08 नामे**	
109- रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	3.83	11.21	1.71	0.64	(-) 10.56	(-) 4.65	0.24	0.97	(-) 9.86	(-) 1.14
निवल	**7.38 जमा**		**1.07 नामे**		**5.91 जमा**		**0.73 जमा**		**8.72 जमा**	
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	2.07	4.30	4.33	शून्य	4.67	शून्य	11.58	शून्य	19.95	20.30
निवल	**2.23 जमा**		**4.33 नामे**		**4.67 नामे**		**11.58 नामे**		**0.35 जमा**	
112-स्त्रोत पर कर कटौती उचन्त	लागू नही	134.87	लागू नही	77.08	लागू नही	29.85	लागू नही	129.85	लागू नही	55.32
निवल	**134.87 जमा**		**77.08 जमा**		**29.85 जमा**		**129.85 जमा**		**55.32 जमा**	

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(ख) 8782-एक ही लेखा कार्यालय को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन										
102-लोक निर्माण प्रेषण	88	284	54.87	231.32	90.37	431.89	30.78	333.64	31.05	357.09
निवल	196.00 जमा		176.45 जमा		341.52 जमा		302.86 जमा		326.04 जमा	
103-वन प्रेषण	(-) 0.61	2.52	शून्य	3.46	शून्य	1.76	..	3.55	..	4.11
निवल	3.13 जमा		3.46 जमा		1.76 जमा		3.55 जमा		4.11 जमा	

6.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना

पंजाब वित्तीय नियम, खंड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने के भीतर या उसी प्रयोजन के लिए आगे अनुदान का आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, अनुदानकर्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने की स्थिति में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुँच गई थी तथा इस प्रकार किए व्यय को सही या अंतिम नहीं माना जा सकता।

31 मार्च 2021 तक बकाया यू. सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	लम्बित यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	1,235**	5,159.79
2019-20	485	2,969.71
2020-21	722	6,421.28
जोड़	2,442	14,550.78

* उपरोक्त वर्णित वर्ष ''देय वर्ष''अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह/वर्ष के बाद से संबंधित है ।

** 3 से 5 वर्ष के बीच के : ₹ 3,609.60 करोड़ के 949 यू.सी.; 5 वर्ष से अधिक समय के : ₹1,550.19 करोड़ के 286 यू.सी.।

यू. सी. प्रस्तुत न करने वाले मुख्य दोषी विभाग हैं : ग्रामीण विकास विभाग (₹ 6,248.51 करोड़, 42.94 *प्रतिशत*), शहरी विकास विभाग (₹ 6,019.63 करोड़, 41.37 *प्रतिशत*), स्वास्थ्य विभाग (₹ 805.11 करोड़, 5.54 *प्रतिशत*) तथा सामान्य शिक्षा विभाग (₹ 774.14 करोड़, 5.32 *प्रतिशत*)।

6.10 पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अपूर्ण परियोजनाएँ

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत तीन अपूर्ण परियोजनाएँ पाँच वर्ष या उससे अधिक समय की हैं। अधूरी परियोजनाओं की संशोधित लागत तथा लागत में वृद्धि का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति की तिथि	आरम्भ करने का वर्ष	पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (*प्रतिशत* में)	वर्ष के दौरान व्यय	प्रगतिशील व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत यदि कोई हो/ संशोधन की तिथि
1.	लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकुला के परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ प्रशासनिक कार्यालय भवन फेज-2 का निर्माण (फेज-1 और-फेज 2)।	18.82 16-07-2015	01-08-2015	30-11-2017	100	1.25	21.85	1.50	41.62
2.	सेक्टर-1 पंचकुला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण।	16.35 29-09-2015	22-10-2015	10-01-2019	100	..	27.21	12.00	26.42
3.	रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी में नए जेल परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण।	12.00 13-02-2013	10-12-2014	10-06-2016	100	..	12.98	0.20	..

6.11 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

01 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करता है तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान दिया जाता है तथा सारी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.)/अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कुल योगदान ₹1,557.06 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 778.53 करोड़ और सरकार का देय अंशदान ₹ 778.53 करोड़) होना चाहिए था। सरकार ने लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ₹ 778.53 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान) हस्तांतरित किया। सरकार के ₹ 778.53 करोड़ के देय अंशदान में से, सरकार ने ₹ 766.83 करोड़ सीधे मुख्य शीर्ष 2071-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान को नामे करके लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिए। वर्ष के दौरान एन.पी.एस. में सरकार का ₹ 11.70 करोड़ का कम अंशदान उसी सीमा तक राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹1,545.36 करोड़ के कुल अंशदान के मुकाबले, ₹1,535.18 करोड़ (₹ 756.65 करोड़ सरकारी अंशदान तथा ₹ 778.53 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान) एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरण किए गए। 2020-21 से संबंधित ₹ 10.18 करोड़ की शेष राशि अभी एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित की जानी है। असंग्रहित, बेजोड़ तथा अहस्तांतरित राशियाँ, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत सरकार की बकाया देयताएँ बताती हैं।

6.12 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करके एक योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु खर्च करने में सक्षम बनाते हैं। पी.डी. खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ऐसे खातों को बंद करके अव्ययित शेषों को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित करना चाहिए।

2020-21 के दौरान, ₹ 3,301.06 करोड़ की राशि राज्य की समेकित निधि से इन पी.डी. खातों में हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2021 में राज्य की समेकित निधि से हस्तांतरित ₹ 1,556.72 करोड़ की राशि शामिल है। यह वर्ष के दौरान, पी.डी. खातों में कुल जमा का 47.16 *प्रतिशत* बनता है।

31 मार्च 2021 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2020-21 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
154	610.89	10	3,318.11*	शून्य	2,057.83	164	1,871.17

** इसमें राज्य की समेकित निधि के अतिरिक्त के ₹17.05 करोड़ शामिल हैं।*

प्रशासक उस योजना/परियोजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। परंतु, यदि कोई पी.डी. खाता तीन साल तक परिचालित नहीं किया जाता तथा यह माना जा सकता है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता नहीं है, तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। वर्ष 2019-20 के लेन-देनों के संबंध में 2020-21 के दौरान किए गए 25 कोषालयों (साईबर कोषालय सहित) के निरीक्षण से पता चला कि 11 परिचालकों के पी.डी. खातों के अंतर्गत ₹ 0.97 करोड़ के शेषों की 11 योजनाएं तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। व्यपगत और गैर व्यपगत पी.डी. खातों की जानकारी 20 कोषालयों से उपलब्ध नहीं हुई।

6.13 निवेश

वित्त लेखों की विवरणी 8 तथा 19 में दर्शायी सरकारी निवेशों की जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त लेखों तथा स्वीकृतियों पर आधारित है, लेकिन संबंधित विभागों (वित्त विभाग सहित) द्वारा तथा निवेशी इकाईयों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने 2020-21 में ₹ 706.59 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2021 तक के ₹ 37,566.55 करोड़ के सरकारी निवेश पर 2020-21 के दौरान ₹163.14 करोड़ (0.43 *प्रतिशत*) का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ।

31 मार्च 2021 तक सरकारी निवेश का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	संस्थाओं की संख्या	वर्ष 2020-21 के अंत तक निवेश
सांविधिक निगम	2	204.93
ग्रामीण बैंक	4	0.53
सरकारी कंपनियाँ	31	36,529.68
अन्य संयुक्त पूँजी कंपनियाँ तथा साझेदारियाँ	31	1.75
सहकारिता संस्थान एवं स्थानीय निकाय	42	829.66*
जोड़	**110**	**37,566.55**

* वर्ष के दौरान निवेश से, ₹ 62.96 करोड़ निवृत्त किए गए हैं।

6.14 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियों का ब्योरा वित्त लेखों की विवरणी 21 तथा 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 11 सक्रिय आरक्षित निधियाँ रखी गई हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 7,823.92 करोड़ था। इसमें से ₹ 5,476.92 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत तथा ₹ 2,347.00 करोड़ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत था।

6.14.1 ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.14.1 (क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत आती है) के गठन तथा संचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 491.00 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 163.66 करोड़ बनता है राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 900.29 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹ 491.00 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹163.66 करोड़, ब्याज ₹ 224.26 करोड़ तथा 2019-20 से संबंधित अव्ययित पड़े ₹ 21.37 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई। केंद्रीय सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए कोई राशि नहीं मिली।

निधि में अंशदान, व्यय और उसमें पड़ा शेष निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष (01 अप्रैल 2020)	केंद्र द्वारा अंशदान	राज्य का हिस्सा	एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	समायोजित राशि (मु.शी. 2245-05)	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई./ राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश
3,172.72	491.00	163.66	शून्य	900.29*	213.02	3,859.99	शून्य

** इसमें ब्याज के ₹ 224.26 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 से संबंधित अव्ययित पड़े ₹ 21.37 करोड़ शामिल हैं।*

प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए ₹ 213.02 करोड़ के संपूर्ण व्यय (मुख्य शीर्ष 2245-05) को ₹ 4,073.01 करोड़ के निधि शेषों के प्रति समायोजित किया गया। 31 मार्च 2021 को निधि में ₹ 3,859.99 करोड़ का अधिशेष था।

6.14.1 (ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ-सी. दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा जारी हिदायतों और 2 जुलाई 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन राशियों के लिए तथा एकत्रित धन राशि का क्षतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्रकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण, अवसंरचना विकास, वन्यजीव संरक्षण तथा सुरक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों व उपर्युक्त से जुड़े मामलों में उपयोग करने के लिए सरकारों को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष स्थापित करना आवश्यक है।

राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघुशीर्ष-'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करना है। क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार, 90 *प्रतिशत* निधि को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तथा शेष 10 *प्रतिशत* की राशि वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा की जाएगी बशर्ते, राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित करने के लिए निधि के 10 *प्रतिशत* केंद्रीय हिस्से का मासिक आधार पर जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

'8336-सिविल जमा' के अंतर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' तथा 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज की दर केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित दर के अनुसार होगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों अथवा राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2021 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष ₹ 1,069.76 करोड़ था।

6.14.2 बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.14.2 (क) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं।

निधि में किए गए लेनदेन निम्नलिखित है:

01 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	निधि में जमा* (अंशदान तथा ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेशित राशि	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
	आवश्यक अंशदान (31 मार्च 2020 तक की बकाया देयताओं का 0.5 *प्रतिशत*)	वर्ष के दौरान जमा अंशदान और ब्याज				
2,084.06	1,077.81	151.62	1,516.29	719.39	151.62	719.39

* मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत बुकिंग न होना समेकित निक्षेप निधि में अंशदान न करना दर्शाता है।

6.14.2 (ख) गांरटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने 2003 में अधिसूचना क्रमांक 1448-एफ.डी. (ई.आर.ए.एम.यू.)-2003 दिनांक 31 जुलाई 2003 के द्वारा गारंटी मोचन निधि का गठन किया था जो कि आर.बी.आई. द्वारा संचालित है। वर्ष 2020 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार शुरू में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक *प्रतिशत* और उसके बाद 0.5 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पांच वर्षों में न्यूनतम तीन *प्रतिशत* के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे 5 *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा।

31 मार्च 2021 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,323.13 करोड़ था। संपूर्ण राशि आर.बी.आई. द्वारा निवेशित है। विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष (01 अप्रैल 2020)	निधि में वृद्धि (अंशदान तथा ब्याज)			निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	निधि में आवश्यक शेष (31 मार्च 2020 तक की कुल बकाया गारंटियों का 5 *प्रतिशत*)	वर्ष 2020-21 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेशित राशी	अंतिम शेष (31 मार्च 2021)
	आवश्यक अंशदान (31 मार्च 2020 तक की कुल बकाया गारंटियों का 0.5 *प्रतिशत*)	2020-21 के दौरान वास्तविक						
		अंशदान (31 मार्च 2020 तक की कुल बकाया गारंटियों का 0.5 *प्रतिशत*)	ब्याज					
1,223.81	103.69	..	99.32	..	1,323.13	1,036.88	99.32	1,323.13

निधि में लेन-देनों को विवरणी 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

6.14.2 (ग) खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के, खनन क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से चिरस्थाई विकास हेतु और राज्य के खनन स्थलों के संरक्षण, बचाव, पुनर्सुधार और पुनर्स्थापन तथा क्षेत्र में परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण और बचाव के समग्र हित के लिए अन्य संबंधित कार्य करने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2015 को अधिसूचना जारी कर निधि की स्थापना की। निधि, 'बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों' के अन्तर्गत खोली गई है हालांकि इस पर 6 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज मिलना है।

निधि के संविधान के अनुसार, पुनर्सुधार एवं पुनर्स्थापना कार्यो हेतु सरकार को दिए डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की राशि के 10 *प्रतिशत* के बराबर खनिज रियायत प्राप्तकर्ताओं से 'अन्य प्रभार' के रूप में वसूल करके निधि में जमा किया जाना है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा, वित्त वर्ष के दौरान, डैड किराया/राज्यधिकार/संविदा मूल्य की मद से प्राप्त राशि के 5 *प्रतिशत* के बराबर सरकारी अंशदान को भी निधि में जमा/हस्तांतरित किया जाना है ।

1 अप्रैल 2020 को निधि में ₹ 220.43 करोड़ का अधिशेष था। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान डैड किराया इत्यादि की मद से ₹ 782.03 करोड़ एवं रियायत प्राप्तकर्ताओं से 'अन्य प्रभार' के रूप में ₹ 72.07 करोड़ (अर्थात निर्धारित 10 *प्रतिशत* से ₹ 6.13 करोड़ कम) प्राप्त हुए। ₹ 117.30 करोड़ की राशि (रियायत प्राप्तकर्ता अंशदान : ₹ 78.20 करोड़ यानी डैड किराए का 10 *प्रतिशत* तथा राज्य का हिस्सा : ₹ 39.10 करोड़ यानी ₹ 782.03 करोड़ के डैड किराए का 5 *प्रतिशत*) निधि को हस्तांतरित की जानी थी। परंतु, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 85.50 करोड़ की राशि का योगदान दिया (राज्य का योगदानः ₹ 27.84 करोड़ और रियायत प्राप्तकर्ताओं का योगदान : ₹ 72.07 करोड़ के 'अन्य प्रभार' प्राप्ति के मुकाबले ₹ 57.66 करोड़)। इस प्रकार, निधि को ₹ 25.67 करोड़ कम अंशदान मिला।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने निधि में पड़े शेषों पर ₹ 5.13 करोड़ के ब्याज का भुगतान/जमा किया है, जिससे निधि में ब्याज का ₹ 8.10 करोड़ (₹ 220.43 करोड़ का 6 *प्रतिशत* घटा ₹ 5.13 करोड़) तक कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान, निधि से ₹ 10.31 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे निधि में 31 मार्च 2021 को ₹ 300.75 करोड़ का अधिशेष बच गया।

लेखों में डैड किराया इत्यादि तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं के अंशदान प्राप्ति तथा निधि को राज्य द्वारा किए गए हस्तांतरण के बीच कोई मिलान नहीं किया गया है।

6.14.3 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

हरियाणा में दो निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निधि का नाम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विकास योजना के लिए निधि	8229	200	1.41
2.	हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुर्ननिर्माण निधि	8229	200	2.29

6.15 भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ देने के वास्ते उपकर लगाने तथा एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। अधिनियम ने अन्य बातों के साथ, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को गठन करना तथा अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार करना अनिवार्य कर दिया। तदानुसार, हरियाणा सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2005 बनाए हैं तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड सरकार द्वारा श्रम उपकर के रूप में एकत्रित/हस्तांतरित राशि के संचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकार ने हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रम उपकर के रूप में ₹ 453.08 करोड़ एकत्रित किए। उपकर प्राप्तियों को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से नहीं लिया जा रहा तथा राज्य सरकार के लेखों में इनको दर्ज/ परिलक्षित नही किया जा रहा।

6.16 हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा ली गई उधारियों को राज्य सरकार के बजट में न दर्शाना

हरियाणा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के पैरा 10 (3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई के मूल राशि चुकाने और/या ब्याज का भुगतान करने का बिना शर्त और पर्याप्त रूप से वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य की उधारी के रूप में दर्शाना होगा।

हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) को आवास तथा शहरी विकास निगम से ₹ 300.00 करोड़ तथा ₹ 550.00 करोड़ के ऋण जुटाने के लिए गारंटियां जारी की। तदनुसार, एच.पी.एच.सी.एल. ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 300.00 करोड़ तथा 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 550.00 करोड़ में से ₹ 502.00 करोड़ का ऋण लिया।

ऋण अनुबंध की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को ऋण समझौते में निर्धारित राशि के ब्याज के साथ पुनर्भुगतान करने के लिए बजट में वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग एच.पी.एच.सी.एल. को मूलधन और ब्याज (दोनों) के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2021 तक, ₹ 300 करोड़ के ऋण के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 217.50 करोड़ के मूलधन और ₹ 180.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार ₹ 502.00 करोड़ के ऋण के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा ₹ 178.75 करोड़ के मूलधन तथा ₹ 96.82 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मूलधन और ऋण के ब्याज की अदायगी को बजट और खातों में सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कि हरियाणा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 का उल्लंघन है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 300.00 करोड़ और ₹ 502.00 करोड़ के ऋण के विरूद्ध क्रमशः ₹ 32.77 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 22.50 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 10.27 करोड़) और ₹ 76.07 करोड़ (₹ 41.25 करोड़ मूलधन के रूप में ₹ 34.82 करोड़ ब्याज के रूप में) चुकाया गया था। वित्त लेखों में ऋणों को न दर्शाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक उधारी को कम करके दिखाया गया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in